Rajasthan Olive Cultivation Limited

(Joint Venture of Govt. of Rajasthan)
State Institute of Agriculture Management Campus,
Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018
Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106 TeleFax +91-141-2553506
Web:www.rajolive.com Email, rocl@rajolive.com
CIN:U01122RJ2007PLC024246

राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के जैतून फार्म, बरौर पर पौधो के मध्य रखी मधुमक्खी कॉलोनियों से प्राप्त साफ किया हुआ जैतून शहद (Olive Honey) की नीलामी शर्तें :–

1. जैतून शहद की नीलामी में किसी भी जनसामान्य / फर्म / संस्था / कम्पनी आदि द्वारा राशि रू. 10,000/– नकद अथवा डी.डी. (जो कि राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के नाम देय हो) जमा करवा के बोली / नीलामी में भाग लिया जा सकता है।
2. **जैतून शहद की न्यून्नतम नीलामी राशि रू. 240/– (टैक्स अतिरिक्त) होगी।**
3. अधिकतम बोली वाले दो बोलीदाताओ के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की राशि बोली समाप्त होने के तत्काल पश्चात् लौटा दी जायेगी।
4. कम से कम 500 किलोग्राम शहद की मात्रा की बोली लगानी होगी।
5. बोली / नीलामी छोड़ने हेतु शहद की पूरी मात्रा क्रय करने वाले क्रेता को प्राथमिकता देय होगी।
6. नीलामी राशि जमा निम्न प्रकार से होगी
   (ए) राशि रू. 10,000/– बोली लगाने से पूर्व।
   (बी) बोली छोड़ने की सहमति जारी होने के 03 दिवस में कुल राशि का 25 प्रतिशत
   (सी) 7 दिवस में 50 प्रतिशत
   (डी) शेष राशि 10 दिवस में (मय समायोजन राशि रू. 10,000/–)
7. पूरी राशि जमा कराने पर ही शहद की निकासी दी जायेगी। समस्त राशि एक मुश्त भी जमा करवायी जा सकती है।
8. निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराने पर पूर्व में जमा राशि जब्त की जा सकेगी।
9. टैक्स का भुगतान पृथक से देना होगा।
10. जैतून का शहद वर्तमान में प्लास्टिक बाल्टीयों में रखा हुआ है जिसको उसी अवस्था में नीलाम किया जावेंगा। तथा वजन के अनुसार किलोग्राम में राशि जमा करानी होगी।
11. शहद का नमूना राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के दुर्गापुरा जयपुर स्थित कार्यालय में निविदादाता के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।
12. बोलीदाता द्वारा फार्म परिसर में यदि किसी भी प्रकार का अपकृत्य किया जाता है तो किसी भी समय उसकी बोली निरस्त की जाकर जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. सफल बोलीदाता शहद की निर्धारित मात्रा कंपनी मुख्यालय से प्राप्त कर सकेगे।
14. उपरोक्त शर्तो में यदि किसी विषय पर दिशा – निर्देश स्पष्ट नहीं है तो नीलामी के समय उपलब्ध कमेटी के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
15. किसी भी प्रकरण में विवाद होने पर चीफ ऑपरेशन ऑफिसर द्वारा निर्णय किया जायेगा। इस निर्णय के विरूद्ध प्रबन्ध निदेशक महोदय को 7 दिवस में अपील की जा सकेगी।

(मनमोहन सैनी) लेखाकार	(पूनम श्री) सहायक कृषि अधिकारी	(मोहन लाल वर्मा) प्रबन्धक, साईट डवलपमेंट	(योगेश कुमार वर्मा) चीफ आपरेशन आफिसर